<u>प्रेस विज्ञप्ति</u> 04.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जाँच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 01.07.2024 को अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार किया है। अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लों को 01.07.2024 को सेंट्रल जेल रायपुर में गिरफ्तार किया गया और बाद में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर ने 06.07.2024 तक ईडी की हिरासत प्रदान की।

ईडी ने शराब घोटाले में आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लों धन शोधन के एक पुराने तरीके के माध्यम से अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी था। उन्होंने जानबूझकर और स्वेच्छा से अपने बैंक खातों और फर्मों को बड़ी मात्रा में अपराध की आय के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के, उन्होंने एफएल-10ए लाइसेंस धारकों से बैंकिंग चैनलों के माध्यम से गलत तरीके से असुरक्षित ऋण के रूप में धन लिया और एफड़ी के रूप में रखा। उन्होंने व्यापारिक लेनदेन की आड़ में प्रमुख देशी शराब आपूर्तिकर्ताओं से भी रिश्वत ली और पैसे अपने पास रख लिए। दिखाए गए अंतर्निहित व्यापारिक लेनदेन पूरी तरह से फर्जी पाए गए हैं।

ईडी 2019 से 2022 के बीच चले शराब घोटाले की जाँच कर रही है जिसमें कई तरीकों से भ्रष्टाचार किया गया था:

- भाग-ए कमीशन: सीएसएमसीएल (शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय) द्वारा उनसे खरीदी गई शराब के प्रत्येक मामले के लिए डिस्टिलर्स से रिश्वत ली गई थी।
- भाग-बी कच्ची शराब की बिक्री: बिना हिसाब के कच्ची देशी शराब की बिक्री। इस मामले में, राज्य के खजाने में एक भी रुपया नहीं पहुंचा और बिक्री की सारी रकम सिंडिकेट ने अपने पास रख ली। अवैध शराब केवल सरकारी दुकानों से ही बेची जाती थी।
- पार्ट-सी कमीशन: शराब बनाने वालों से रिश्वत लेकर उन्हें कार्टेल बनाने और बाजार में निश्चित हिस्सेदारी दिलाने के लिए रिश्वत ली जाती थी।
- एफएल-10ए लाइसेंस धारकों से कमीशन, जिन्हें विदेशी शराब के क्षेत्र में भी कमाई के लिए लाया गया था।

ईडी की जाँच में पता चला कि अरविंद सिंह ने छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट में सक्रिय भूमिका निभाई थी और वह अनवर ढेबर का दाहिना हाथ था और डुप्लीकेट होलोग्राम की आपूर्ति, नकदी संग्रह आदि के लिए जिम्मेदार था। वह अपने सहयोगियों के माध्यम से शराब बनाने वालों को बिना बिल के शराब की बोतलें आपूर्ति करने के लिए भी जिम्मेदार था। अपनी भूमिका के लिए, उसने अपराध की पर्याप्त आय भी अर्जित की थी। उसे पार्ट-बी (बेहिसाब) शराब की बिक्री से भी हिस्सा मिला।

ईडी की जांच में पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबों में 2100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध अपराध आय भरी गई।

इससे पहले, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को भी ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले की चल रही जांच में ईडी ने पहले ही करीब रुपये 205.49 करोड़ की 18 चल और 161 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं, जिनमें अरविंद सिंह की रुपये 12.99 करोड़ की 33 संपत्तियां और त्रिलोक सिंह ढिल्लों की रुपये 28.13 करोड़ की 9 संपत्तियां शामिल हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।